झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य–1192/2022– 03/22-23 ... /राँची, दिनांक 04.05.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **अजय बराज सिकटिया के Painting and all work related to minor repair, maintenance, operation and security of Ajay Barrage, gates, H/R gates, Control room and D.G. Set with materials and labour complete job कार्य हेतु रूपये 370.00 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के प्रक्षेत्राधीन अजय बराज सिकटिया के Painting and all work related to minor repair, maintenance, operation and security of Ajay Barrage, gates, H/R gates, Control room and D.G. Set with materials and labour complete job कार्य हेतु रूपये 370.00 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. देवघर जिलान्तर्गत सारठ प्रखण्ड के सिकटिया ग्राम के निकट अजय नदी पर निर्मित अजय बराज योजना निर्मित है। देवघर जिला मुख्यालय से सारठ होते हुए बराज स्थल की दूरी लगभग 50 कि०मी० है। बराज की लम्बाई 270.00 मी० है। इस बराज में 8.30 मी० x 16.00 मी० का 15 Spillway Gate लगा हुआ है तथा 6.0 मी० x 2.70 मी० का तीन H/R (Head Regulator) gate लगा हुआ है।

4. अजय बराज योजना का G.C.A. 51,822 हे० एवं रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता 36460 हे० तथा रब्बी सिंचाई क्षमता 4050 हे० है।

इस योजना से सिंचाई हेतु मात्र एक मुख्य नहर निकलती है जिसकी लम्बाई– 110.80 कि०मी० है। मुख्य नहर के शुरूआत में इसकी जलश्राव क्षमता 1400 क्यूसेक है।

5. बराज के गेटों की मरम्मति, इसकी सुरक्षा एवं सुरक्षित परिचालन तथा 3 वर्षों तक इसके Operation & Maintenance के कार्य हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में E.O.I. प्रारूप का विभागीय अनुमोदन विभागीय पत्रांक– 732 दिनांक 06.12.2021 द्वारा किया गया है।

6. उक्त E.O.I. के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl.	Activity (Scope of Work)
1.	Repair of Barrage Gate, HR gate, Gantry crane, monorall crane, control panel, siren, stoplog gate, 160 KVA DG Set, Stoplog, Gloves, oiling of wire rope with Cadium Compound and all hoisting arrangements.
2.	Painting work of all steel structure after proper cleaning of surface through sand blasting, including barrage gates, HR Gates, stoplog gates, gantry crane, hoist platform, steel coloumn etc. of Ajay Barrage.
3.	All work related to repair maintenance, operation and security of Ajay Barrage gate, HR Gates, control room and DG set with material and labour complete job for all three years after completion of all repair and painting work.

7. उक्त कार्य कराने के लिये सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया, शिविर बुढ़ई (देवघर) के पत्रांक–488 दिनांक 17.12.2021 के E.O.I. सं०– WRD/Irr.Div. Sikatia Camp Burhai (Deoghar)/E.O.I.-01/2021-22 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा e-tendering के माध्यम से E.O.I. आमंत्रित किया गया।

8. इस E.O.I. में दो निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया।

9. इनके तकनीकी बिड पर विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक 23.02.2022 की बैठक में विचार करते हुए इनके वित्तीय बिड खोलने का निर्णय लिया गया।

10. इनके वित्तीय बिड खुलने के पश्चात् मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के पत्रांक–365 दिनांक 04.03.2022 द्वारा वित्तीय बिड की तुलनात्मक विवरणी विभाग को प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार विषयक कार्य हेतु निम्न दो निविदादाताओं द्वारा निम्न दर उद्धृत किया गया :–

क्र०	निविदादाता का नाम	निविदित राशि	रैंक
1.	Janta Engineering Works, Rakha Copper Project, Jamshedpur, East Singhbhum	रू० 3.71 करोड़	L_1
2.	Greyhound Engineers India Pvt. Ltd., F-26, 2nd Floor, South Extension Part-1, New Delhi	रू० 6.25 करोड़	L_2

11. प्राप्त वित्तीय बिड के क्रम में विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक 14.03.2022 को न्यूनतम निविदादाता के साथ दरवार्त्ता किया गया तथा उसके पश्चात् रू० 3.70 करोड़ के लिये सम्पूर्ण कार्य मे० जनता इन्जिनियरिंग वर्क्स को आवंटित करने का निर्णय लिया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् कार्यावंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

12. न्यूनतम निविदाकार द्वारा दरवार्त्ता के दौरान विषयक कार्य का कार्यमद वार विवरण दिया गया है।

13. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके पत्रांक–592 दिनांक 01.04.2022 द्वारा विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्ताव भेजा गया है।

ASR

14. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारंभ कर एकरारनामा के पश्चात् 01 (एक) वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। तत्पश्चात् सभी गेटों की सुरक्षा तथा इसके operation & maintenance का कार्य तीन वर्षों तक उसी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

15. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सिकटिया होंगे।

16. (i) इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

17. इस योजना पर होने वाला व्यय,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –001– निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–78–पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-001-78-00-05-45)

18. वर्ष 2022–23 के बजट में पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 001 – 78 – 00 – 05 – 45 में रु० 8150.00 लाख

19. योजना पर व्यय हेतु राशि की निकासी मधुपुर उप कोषागार, मधुपुर से की जायेगी।

20. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

21. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

22. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

23. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

24. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।

25. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

26. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

29/04/22

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

ASR

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1192/2022— 03/22-23 प०स०/राँची, दिनांक 04.05.2022

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.05.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1192/2022— 03/22-23 प०स०/राँची, दिनांक 04.05.2022

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, मधुपुर उप कोषागार, मधुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.05.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1192/2022— 03/22-23 प०स०/राँची, दिनांक 04.05.2022

प्रतिलिपि :— सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, मधुपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सिकटिया, शिविर—बुढ़ई, देवघर /अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.05.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1192/2022— 03/22-23 प०स०/राँची, दिनांक 04.05.2022

प्रतिलिपि :— आयुक्त, संथाल परगना, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

04.05.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1192/2022— 03/22-23 प०स०/राँची, दिनांक 04.05.2022

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.05.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव